संख्या– 233/VI/2005–3(6)2004

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 11 मार्च, 2005

विषयः–जिला योजना 2004–05 के अन्तर्गत पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–495–2–6–215/2004 दिनांक 13 जनवरी, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 35.576 लाख के आगणनों के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 31.89 लाख(रूपये इक्तीस लाख नवासी हजार मात्र) के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इसके विपरीत चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 21.39 लाख (रूपये इक्कीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0स0	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में जारी की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई का नाम
1	सल्ड महादेव मंन्दिर नैनीडाण्डा परिसर का सौन्दर्यीकरण **(जनपद पौड़ी)**	8.06	7.38	7.38	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी
2	**जनपद उत्तरकाशी** ओसला से हरकीदून ट्रैक मार्ग का सुधार/जीर्णोद्धार	6.00	5.91	5.91	राजाजी नैशनल पार्क देहरादून।
3	श्री राजा रघुनाथ मन्दिर सिसाला का सौन्दर्यीकरण	4.35	4.30	4.30	खण्ड विकास अधिकारी, नौगॉव
4	गुन्दियाट गांव से सरताल तक पैदल मार्ग की मरम्मत एवं यात्रियों के विश्राम हेतु रैनशेड	15.33	12.50	2.00	टौन्स वन प्रभाग पुरोला।
5	धमज्योति बुद्ध विहार एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण	1.836	1.80	1.80	जिला पंचायत उत्तरकाशी।
		35.576	**31.89**	**21.39**	

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उक्तानुसार जनपदवार योजना एवं परिव्यय अनुमोदित हो।

N°C 13-56

8- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

10-आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

11-निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12-स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी ।

13-उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरांत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईनबोर्ड स्थापित किया जायेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण कर योजना पूर्ण होने की सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा योजना के पूर्ण होने पर उनका रख-रखाव ग्राम पंचायत/वन विभाग/नगर पंचायत,जैसी स्थिति हो द्वारा किया जायेगा ।

14-कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

15-आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

16-निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

17-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

18-उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्वर्द्धन तथा प्रचार-91-जिला योजना-07-पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

19-उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-789/वित्त अनु0-3/2005, दिनांक 11 मार्च,2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या- VI/2005-3(6)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3- जिलाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
4- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
5- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
6- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7- अपर सचिव, नियोजन।
8- निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11/3/05

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।